

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

मुकेश वगै०

बनाम

आशादेवी वगै०

किस्म मुकदमा दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु०नं० 325 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/688

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

04-07-2025

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 06/08/25 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

06/08/25

वकील वादीगण उप. प्रतिवादीगण सं. 1, 3 तथा 6 की ओर से सी नरेश कुमार सेनी ए० नं० बनारस बागा पेश किया जो शामिल मिलल किया गया। प्रतिवादी सं. 8 व 11 की तामील सम्मन लप से होना पायी गयी। बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी सं. 8 व 11 के बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लई जाती है। बाल्टे पेश होने जवाब व तामील शेष प्रतिवादीगण मिलल दिनांक 14/10/25 को पेश हो।

24/9/25

वकील वादीगण द्वारा वादपत्र विद्वा करने हेतु प्रपत्र मिलल तलबी पेश करने पर फतावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। वकील वादीगण नं० प्रपत्र पेश कर निवेदन

पवन शर्मा

किया कि उल्लेख में फलाना के मध्य राजीनामा
 हो गया है। इसलिए उल्लेख को जारी नहीं
 चलाना चाहते हैं। अतः वादपत्र विद्वा फलाने
 की रूपा करें। वकील चादीगाण का वादपत्र काका
 हाका विद्वा न्यायहित में खरीका किया जाकर
 कामवाही उल्लेख इसी हल पर खरूप किया
 जाता है। पत्रावली केवल शमाह होकर नम्बर
 से कम ही तथा वाद लकमील दाखिल दफ्तर
 हो। निर्णय से इजलास सुनाया गया।



राजवीर सिंह यादव
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना (सीकर)